इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 509] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 सितम्बर 2017—भाद्र 30, शक 1939

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2017

क्र. एफ-12-22-2016 पच्चीस-4.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना नियम, 2017 में अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त नियम की कंडिका 8.1 द्वारा यथा-अपेक्षित, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 7 जून 2017 को पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है; अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम की कंडिका 9.1 में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के विकास हेतु कार्य कराने हेतु प्रतिवर्ष बजट में प्रावधानित राशि का 80 प्रतिशत आवंटन जिलों को अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आनुपातिक आधार पर आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास द्वारा संबंधित जिला कलेक्टरों को आवंटित किया जायेगा तथा बजट प्रावधान की शेष 20 प्रतिशत राशि शासन के विकल्प पर सुरक्षित रहेगी, जिससे विभिन्न स्तरों पर की गई घोषणाएं एवं शासन स्तर पर प्रस्तावित अति-महत्वपूर्ण प्रस्तावों में स्वीकृति जारी की जायेगी. प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर संबंधित निर्माण एजेन्सी को राशि अंतरित की जायेगी."

2. शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशकृत तिवारी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.